**संख्या-22/2018/2234/60-1-2018**

**प्रेषक,**

**अजय कुमार सिंह,**
**संयुक्त सचिव,**
**उ0प्र0 शासन।**

**सेवा में,**

**1- समस्त जिलाधिकारी,**
**उत्तर प्रदेश।**

**2- समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी,**
**उत्तर प्रदेश।**

**महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1** **लखनऊः दिनांकः 14 सितम्बर, 2018**

**विषय- रिट याचिका संख्या-21582/16 एवं रिट याचिका संख्या-18888/16 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों के अनुपालन के संबंध में।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्या-21582/16 तथा रिट याचिका संख्या-18888/16 श्रीमती आरती अग्निहोत्री बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में क्रमशः पारित आदेश दिनांक 15.012.2016 एवं दिनांक 20.08.2016 के अनुपालन में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 13.09.2018 को बैठक आहूत की गयी थी। बैठक में यह तथ्य संज्ञान में लाया गया कि पुलिस द्वारा किसी पीड़िता की बरामदगी की दशा में पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण तथा आई0पी0सी0 की धारा-164 के अन्तर्गत बयान कराये जाने तक उसे अल्पावास प्रदान किया जाना होता है, किन्तु पीड़िता को थाने अथवा पुलिस अभिरक्षा में नियमानुसार नहीं रखा जा सकता है। तद्क्रम में बैठक में पुलिस द्वारा पीड़िता की बरामदगी के पश्चात् उसके चिकित्सीय परीक्षण व द0प्र0स0 की धारा-164 के अन्तर्गत बयान कराने जाने की अवधि तक के लिए पीड़िता को अल्पावास प्रदान किये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपद में सरकारी तथा राज्य/केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त महिलाओं/बालिकाओं से संबंधित आश्रय गृहों को चिन्हित किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये है।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न प्रारूप में अपने जनपद में सरकारी एवं राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा नियमानुसार पंजीकृत एवं संचालित ऐसे गृहों की सूची 01 सप्ताह से अनधिक अवधि में महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

**संलग्नक-यथोक्त।**

भवदीय,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

**संख्या- /60-1-18, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
4- गार्ड फाइल।

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**संलग्नक**

**भारतीय दण्ड संहिता एवं पाक्सो अधिनियम की पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को अल्पावास प्रदान करने के निमित्त जनपद स्तर पर संचालित सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का विवरण।**

जनपद का नाम-----

| क्र0सं0 | संस्था का विवरण | जनपद स्तर से उपलब्ध करायी जाने वाली सूचना का विवरण |
|---|---|---|
| 1. | सरकारी/गैर सरकारी संस्था का नाम व पूरा पता तथा अन्य विवरण (पंजीकरण सहित) | |
| 2. | संस्था में संवासिनियों की स्वीकृत क्षमता | |
| 3. | संस्था में वर्तमान में आवासित संवासिनियों की संख्या | |
| 4. | संस्था में अतिरिक्त पीड़िताओं को प्रवेशित कराने पर उनके रहने, भोजन एवं सुरक्षा की व्यवस्था किस प्रकार की जायेगी ? | |

हस्ताक्षर एवं मुहर
जिला प्रोबेशन अधिकारी

हस्ताक्षर एवं मुहर
जिलाधिकारी

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।